न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 1435 / 2003 / बून्दी

1– रामधन पुत्र धन्नालाल
2– रामस्वरूप पुत्र रामकरण
3– रामलाल पुत्र रामकरण
4– श्रीमती भूरी पत्नि रामधन (मृतक) जरिये वारिसान :–
4/1– श्योजी पुत्र रामधन
4/2– कालू पुत्र रामधन
4/3– रामचरण पुत्र रामधन नाबालिग
5– राधा पत्नि रामस्वरूप
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बबाई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

.....अपीलान्टस

बनाम

छोटू पुत्र मोती लाल मीणा, निवासी ग्राम बबाई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

.....रेस्पोन्डेन्ट

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्रीमती ज्योति पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री जी. एस. लखावत, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट (ब्रीफ होल्डर अभिभाषक)

दिनांक : 01 अगस्त, 2018

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–3–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान

<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 1435 / 2003 / बून्दी</u>
रामधन व अन्य बनाम छोटू

अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–17/2002 शीर्षक रामधन बनाम छोटू को खारिज को किया है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट छोटू ने एक दावा संख्या–93/91 अन्तर्गत धारा–183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक छोटू बनाम रामधन, न्यायालय सहायक कलेक्टर, केशोरायपाटन के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि दावा में वर्णित भूमि का वादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 गैर खातेदार कृषक है। वादी की भूमि पर प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 / वर्तमान अपीलान्टस द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। इसलिये वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे। दावा का प्रतिवादीगण / वर्तमान अपीलान्टस द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकी कायम की गयी। तत्पश्चात प्रतिवादीगण / वर्तमान अपीलान्टस को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 18 अवसर देने के पश्चात भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 11–5–2001 को साक्ष्य बन्द कर दी गयी। साक्ष्य बन्द करने के पश्चात प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा No Instruction Plead कर दिया गया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये। तत्पश्चात सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2001 के द्वारा दावा स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर, केशोरायपाटन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2001 के विरूद्ध प्रतिवादीगण / वर्तमान अपीलान्टस द्वारा प्रथम अपील संख्या–17/2002 शीर्षक रामधन बनाम छोटू, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–3–2003 के द्वारा अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–3–2003 के विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26–3–2003 को निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत की गयी थी। राजस्व मण्डल की एकलपीठ सदस्य श्री बी. के. मीणा ने अपने निर्णय दिनांक 10–1–2006 के द्वारा निगरानी को अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में परिवर्तित कर दिया। इसलिये यह निगरानी अपील के रूप में निर्णित की जा रही है।

<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 1435 / 2003 / बून्दी</u>
रामधन व अन्य बनाम छोटू

4– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, केशोरायपाटन द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2001 एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री था। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 5–3–2003 के द्वारा मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण / वर्तमान अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा No Instruction Plead कर दिया गया था। No Instruction Plead करने पर न्यायालय द्वारा पक्षकार को नाटिस जारी किया जाना आवश्यक था। परन्तु न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अपना निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2001 पारित कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर, केशोरायपाटन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में त्रुटि की है, क्योंकि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2001 एकपक्षीय निर्णय था। जानकारी होने पर प्रथम अपील 17/2002 प्रस्तुत की है। विद्वान अपील प्राधिकारी को मियाद के बिन्दू को अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित करते हुये अपील को गुण–अवगुण पर निर्णित करना चाहिये था। अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने **A.I.R. 1981 (S.C.) Page-1400, A.I.R. 1998 (S.C.) Page-258, D.N.J. 1998 (Raj.) Page-335, R.B.J. 1998 Page-668, R.R.D. 1999 Page-208, W.L.C. 1992(1) Page-65** न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, केशोरायपाटन द्वारा प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 18 अवसर दिये गये। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी साक्ष्य बन्द की गयी। साक्ष्य बन्द होने के पश्चात प्रतिवादीगण / अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा No Instruction Plead किया गया है। No Instruction Plead करने का कारण यह है कि समुचित अवसर देने के पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या–17/2002 निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई समुचित कारण नहीं

होने के कारण विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम को खारिज कर अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उनकी कोई मदद नही करते हैं। जहां पक्षकार स्वयं लापरवाह हो, वहां अपनी लापरवाही का फायदा यह कह कर नहीं उठाया जा सकता है कि No Instruction Plead के पश्चात न्यायालय को पक्षकार को नोटिस जारी करना चाहिये था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिये द्वितीय अपील खारिज की जावे।

7– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8– विद्वान सहायक कलेक्टर, केशोरायपाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–7–2001 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि दावा के प्रतिवादीगण / वर्तमान अपीलान्ट्स को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 18 अवसर दिये गये। समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर उनकी साक्ष्य बन्द की गयी। साक्ष्य बन्द होने के पश्चात प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा No Instruction Plead किया गया। यह No Instruction Plead इसलिये कियागया है कि प्रतिवादी / अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी थी। विद्वान सहायक कलेक्टर, केशोरायपाटन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2001 के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपील संख्या–17/2002 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी थी। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम में ऐसा कोई समुचित आधार नहीं था, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जा सके। No Instruction Plead की आड में किसी पक्षकार को यह स्वतंत्रता नही दी जा सकती है कि वह अपना दायित्व समय पर नहीं निभाये तथा दायित्व समय पर नहीं निभाने के कारण अपने विपरीत पारित निर्णय को यह कह कर निरस्त करने का प्रयास करें कि उनके अभिभाषक द्वारा No Instruction Plead कर दिया गया था। जबकि इस प्रकरण में तो विद्वान सहायक कलेक्टर, केशोरायपाटन द्वारा प्रतिवादी / अपीलान्ट को समुचित अवसर प्रदान किया गया था। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उनकी कोई मदद

अपील डिक्री / टी.ए. / 1435 / 2003 / बून्दी
रामधन व अन्य बनाम छोटू

नहीं करते हैं। इस प्रकरण में प्रतिवादी / अपीलान्टस पूर्णतया लापरवाह रहे हैं। लापरवाही के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ नहीं किया जा सकता है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की है।

9– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. निवास)
अध्यक्ष